न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :**पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 227 सन 2014

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र श्री पतराम जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. रामकला पत्नी स्व0 रणसिंह जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर हाल निवासी निरवाण तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. एचडीएफसी बैंक शाखा फतेहाबाद हरियाणा।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायलान
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 03/12/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 448 की कुल 11.1920 हैक्ट भूमि में से 2529/11192 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल ने अपने परिवार की आय व सम्पति को बढ़ाने व वृद्धि करने के इरादे अपनी स्वयं की अर्जित आय से दिनांक 11.05.1987 को रामेश्वर पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी बावल बास तहसील भादरा से उसकी ननाउ के ख0न0 295 में स्थित 47 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 16 बिघा कृषि भूमि 40,000 रूपये में अपने लिए क्रय की किन्तु उक्त भूमि का बैयनामा स्वयं के नाम रजिस्टर्ड न करवाकर अपने 13 वर्षीय नाबालिग पुत्र रणसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया। उक्त वाद भूमि सायल ने अपने अव्यस्क पुत्र रणसिंह के लिए खरीद नही की थी किन्तु स्वयं के लाभ के लिए खरीद की थी। रणसिंह तो मात्र बैयनामीदार था उक्त भूमि का रणसिंह को मालिक बनाने का सायल का कोई ईरादा नही था तथा ना ही रणसिंह के लाभ के लिए सायल ने उक्त भूमि खरीद की थी। भूमि का असल बैयनामा भी सायल की अभिरक्षा में रहा व आज भी बैयनामा सायल की अभिरक्षा में है। भूमि का कुल मूल्य स्वयं सायल ने अपनी अर्जित आय से अदा किया था और सायल ही उपरोक्त भूमि की काश्त करता है और भी भूमि सायक के कब्जा काश्त में है।

दुर्भाग्य से दिनाकं 23.09.2006 को सायल के पुत्र रणसिंह का देहान्त हो गया है और अब उसकी पत्नी रामकला उपरोक्त 16 बीघा भूमि पर स्वयं का हक जता रही है। जबकि उक्त 16 बीघा भूमि रणसिंह की नही थी सायल का [illegible] भूमि का बैयनामीदार था। गैरसायला रणसिंह की विधवा है और वह उसकी विधिक [illegible] की वजह से उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास में है और यदि [illegible] अपने मकसद में का[illegible] हो जाती है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:16:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सायल गैरसायल के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

सायल द्वारा सिविल न्यायालय नोहर के समक्ष विषयवस्तुत बाबत वाद पेश किया गया था। वाद संख्या 54/2007 दिनांक 16.12.2019 को डिक्री फरमाया गया था उक्त डिक्री की अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 नोहर द्वारा दिनांक 30.09.2024 को निर्णय पारित कर दिनांक 16.12.2019 के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पत्रावली रिमाण्ड कर दी जिस पर वरिष्ठ न्यायाधीश नोहर द्वारा दिनांक 22.07.2024 को ख0न0 295 की उक्त भूमि के बाबत सिविल न्यायालय को घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने तथा राजस्व न्यायालय को उक्त प्रकरण में उक्तानुसार जो अनुतोष घोषणा व निषेधाज्ञा से संबंधित है उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने का दावा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 जाब्ता दीवानी के तहत लौटाये जाने का आदेश दिया गया था। इसलिए यह वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया गया है।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की उक्त वाद भूमि सायल के पिता पतराम ने संयुक्त परिवार की आय से अर्जित कर रामकला के पति यानि की अपने पौते रामकरण के नाम दर्ज करवायी थी। पतराम द्वारा ही उक्त भूमि खरीद कर रणसिंह अपने पौते के नाम उसका जीवन यापन सुरक्षित करने के लिए दर्ज करवायी गयी थी। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायला के नाम दर्ज है एवं गैरसायल के ही कब्जा व काश्त में है। सायल बैयनामीदार के आधार पर रेवेन्यु कोर्ट में घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वरिष्ठ न्यायाधीश नोहर द्वारा दिनांक 22.07.2024 को अपने निर्णय में अंकित किया है कि सायल स्वयं को उक्त वाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये लेकिन सायल का वाद खातेदारी प्राप्त करने का नही है जबकि बैयनामीदार घोषित करवाने का है। इसलिए काबिज खारिजी के है। बैयनामा सन 1987 का है और बैनामी संव्यवहार अधिनियम सन 1988 को लागु हुआ है इसलिए बैयनामीदार के आधार पर सायल ख काश्तकार की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है। सायल ने उक्त 16 बीघा भूमि का कोई पैसा नही दिया है। सायल लालची व लोभी किस्म का व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायलान, जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावों के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के [illegible] के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:16:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से गैरसायल स0 1 के पति व अपने पुत्र के पक्ष जो की उस वक्त नाबालिग था के पक्ष मे बैयनामा करवाया था। अतः बैयनामीदार प्राथी है जो की मूल वाद में निर्णित होना है। अप्रार्थी संख्या 1 जो की प्रार्थी की पुत्रवधु है के नाम उक्त वाद भूमि रणसिंह के फौत होने के बाद दर्ज हुई है। विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायलान को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी सायलान पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सालयान के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है। चुंकि सायलान का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में सालयान को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायलान को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायलान के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:16:10 IST
Reason: SelfAttested